न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2017	08.04.2017	29.07.2021

अनवान

1. मथुरालाल पिता मगनीराम जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन मृतक के बजाय–
   - 1/1– मु0 डालीबाई पत्नि स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/2– बालीबाई पुत्री स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/3– भैरूलाल पिता स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/4– श्यामलाल पिता स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/5– मदनलाल पिता स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/6– रमेश पिता स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
   - 1/7– अनिल पिता स्व0 मथुरालाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. सुरेश पिता माधवलाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. रामजस पिता बंशीलाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. नारायण पिता बंशीलाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. रतनलाल पिता माधवलाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. भॅवरलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा — प्रार्थी

अधिवक्ता श्री ललित झंवर   अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: संशोधित निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 148 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 745 रकबा 0.50 है0 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर पत्थरगढी कराये जाने बाबत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 08.04.2017 को होकर पत्थरगढी बाबत तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया गया व पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की गयी।

वकील प्रार्थी व प्रार्थी मदनलाल द्वारा दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रस्तुत कर पत्थरगढी कराये जाने बाबत् निवेदन किया कि ग्राम ताराखेडी में खसरा संख्या 745 रकबा 0.50 है0 स्थित है व प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने बाबत आपके न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 08.04.2017 को 500 रूपये शुल्क अदा करने पर पत्थरगढी की जाने का आदेश जरिये प्रकरण संख्या 03/2017 से हुआ। उक्त आदेश की पालना में पत्थरगढी करने के लिये जब भी राजस्व कर्मचारी मौके पर पत्थरगढी करने आते है तो अप्रार्थीगण मौके पर पत्थरगढी करने में अवरोध पैदा करते है। जबकि पत्थरगढी करने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी एवं अप्रार्थीगण के बीच में उपरोक्त आराजीयात के लिये आपस में सिविल कोर्ट में मुकदमा चला। भंवरलाल, कैलाश व जगदीश ने श्रीमान् सिविल न्यायाधीश कपासन की अदालत में माहदा पांबदी का दावा किया जिसके प्रकरण संख्या 09/2006 है जिसका निर्णय दिनांक 04.02.2008 को हो गया। अप्रार्थी का दावा सिविल न्यायालय ने खारिज किया था। अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय के निर्णय के खिलाफ श्रीमान् जिला न्यायाधीश चित्तौडगढ की अदालत में अपील भी की। जिसके प्रकरण संख्या 32/2008 है जिसका निर्णय दिनांक 19.12.2008 को हो गया। अप्रार्थीगण की अपील खारिज हो गयी। अप्रार्थीगण आये दिन मेरी कब्जेशुदा आराजीयात में दस्तनदाजी ताकत के बल पर करते रहते है जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है, इस कारण मेरे पिताजी को पत्थरगढी [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। अदालत ने दोनो पक्षों को सुनकर पत्थरगढी [illegible] कर आदेश दिया। अप्रार्थीगण आये दिन मेरी कब्जेशुदा आराजीयात [illegible] होने के कारण मुझको नुकसान पहुंचाते रहते है, इस कारण मुझ प्रार्थी ने अप्रार्थी के खिलाफ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा0 कपासन की अदालत में अन्तर्गत धारा 427, 447, 504, 506 ता0हि0 के तहत मुकदमा पेश किया। इस पर अदालत ने अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जो अदालत में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण जमानत पर आजाद है। यह कि दिनांक 11.06.2020 को राजस्व निरीक्षक महोदय एवं पटवारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

हल्का जो मौके पर पत्थरगढी करने आये थे और पुलिस जाब्ता भी साथ था, परन्तु उस दिन अन्य गवाहान नहीं होने से पत्थरगढी नही हो सकी। पत्थरगढी नहीं होने से दिनांक 16.06.2020 को पत्थरगढी करने हेतु तारीख तय की गयी। उक्त दिनांक को प्रार्थी एवं मोतबीर गवाहान आराजीयात पर मौजूद रहे। परन्तु कोई भी राजस्व कर्मचारी पत्थरगढी करने नहीं आया।

यह कि मैं काश्तकार व्यक्ति हॅू। मेरे पिताजी उम्र से वृद्ध है। हमारी आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है इस कारण पत्थरगढी जल्दी से जल्दी किये जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण ताकत के बल पर अवरोध पैदा करते है जबकि उनको अदालत के निर्णय के बाद अवरोध पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौके पर श्रीमान् के आदेश की पालना में जल्दी से जल्दी पत्थरगढी की जाने का आदेश देने की कृपा करावें। और यदि कोई व्यक्ति अवरोध पैदा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कृपा कर सजा दिलाने की कृपा करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से मूल पत्रावली 3/2017 सिगेह से तलब की जाकर प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लेकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णगोपाल झंवर ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का फौत होना जाहिर किया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत किया जिस पर जवाब दिया जाकर दिनांक 21.07.2020 को स्वीकार किया गया। व संशोधित उनवान रेकार्ड पर लिया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पुरा आधारहीन होकर गलत पेश किया है उक्त मूल आवेदन 3/2017 का निस्तारण दिनांक 08.04.2017 को न्यायालय आप द्वारा कर दिया गया है। इसकी पालना में तहसीलदार कपासन की रिपोर्ट भी दिनांक 19.07.2018 को न्यायालय आप में प्राप्त हो चुकी है व आराजी नम्बर 745 को विवादीत मान कर एवं पक्षकारान के बीच प्रकरण चलने के आधार पर पत्थरगढी नहीं की गयी है। प्रार्थीगण ने उक्त सारे तथ्यों को छुपा कर गलत आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश किया है। सी0पी0सी0 के प्रावधान एल0आर0एक्ट0 पर लागु नहीं होते है। इस प्रकार प्रार्थीगणों ने जानबुझकर यह गलत आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश किया है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना चाहिए।

धारा 151 सी0पी0सी0 को बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पूर्व में निर्णय एकतरफा पत्थरगढी किये जाने बाबत् किया गया था। जिसमें कब्जे की दाद नहीं चाही गयी थी। ना ही न्यायालय ने इस प्रकार की कोई दाद प्र[illegible] की। मामला सीमांकन की दाद का है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.04.2017 की पालना में मौके पर पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में [illegible]। जबकि मामला सिर्फ पत्थरगढी किये जाने का था। मौके से कब्जा हटाने का नहीं। अतः धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा[illegible] जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी नें दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त आराजीयात के संबंध में मुकदमें चल रहे है। दावा पेश किया है। प्रार्थीगण पत्थरगढी की आड में कब्जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

लेना चाहते है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी धारा 183 का दावा प्रस्तुत किया व फिर विड्रो कर लिया। तहसीलदार कपासन द्वारा पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट दिनांक 08.08.2018 में यह अंकन किया है कि आराजीयात विवादित है व पत्थरगढी की पालना किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 148 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 745 रकबा 0.50 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 500/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested